

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र०/जीविवि/परीक्षा-२/गोपनीय/२०१३/२०५४

दिनांक. २७.११.२०१३

// अधिसूचना //

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू किये जाने से पूर्व वर्षों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण तथा स्नातकोत्तर पूर्वाब्ध परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को आगामी किस परीक्षा में सम्मिलित कराया जाये। ऐसी विभिन्न समस्यायें विश्वविद्यालय के प्रकाश में आई हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा इन समस्याओं के सुगम समाधान हेतु निम्न निर्देश छात्र हित में प्रसारित किये जा रहे हैं:-

१. स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण छात्र अंतिम अवसर के रूप में स्नातक अंतिम वर्ष (FINAL YEAR) वार्षिक परीक्षा मार्च/अप्रैल २०१४ में सम्मिलित हो सकते हैं।
२. स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण छात्र अंतिम अवसर के रूप में स्नातक द्वितीय वर्ष (दूरस्थ शिक्षण पद्धति) के आधार पर वार्षिक परीक्षा मार्च/अप्रैल २०१४ में सम्मिलित हो सकते हैं।
३. स्नातकोत्तर पूर्वाब्ध परीक्षा उत्तीर्ण सभी छात्र स्नातकोत्तर उत्तराब्ध (FINAL YEAR-दूरस्थ शिक्षण पद्धति) के आधार पर वार्षिक परीक्षा मार्च/अप्रैल २०१४ में सम्मिलित हो सकते हैं।

ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातकोत्तर पूर्वाब्ध परीक्षा वार्षिक पद्धति के आधार पर उत्तीर्ण की हैं लेकिन उनका विषय दूरस्थ शिक्षण पद्धति के अन्तर्गत संचालित नहीं किया जा रहा है। ऐसे छात्र स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर (असंस्थागत परीक्षार्थी) परीक्षा दिसम्बर २०१३ में असंस्थागत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।

4. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण ऐसे छात्र जिनका पिछले वर्षों में किसी कारण से गेप रहा है। स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर (असंस्थागत छात्र) परीक्षा दिसम्बर 2013 में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन उन्हें स्नातकोत्तर पूरा पाठ्यक्रम 03 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
5. स्नातक स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर नियमित परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण कर आगामी वर्ष में गेप होने के कारण जुलाई 2013 में नियमित छात्र के रूप प्रवेश नहीं लेने वाले छात्र स्नातक तृतीय सेमेस्टर परीक्षा (असंस्थागत परीक्षार्थी के रूप में) दिसम्बर 2013 में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें स्नातक सम्पूर्ण पाठ्यक्रम 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
6. स्नातक स्तर पर स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण छात्र या स्नातक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर (असंस्थागत परीक्षार्थी) उत्तीर्ण छात्र को स्नातक तृतीय सेमेस्टर (नियमित परीक्षार्थी) परीक्षा दिसम्बर 2013 में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है।

C. Shinde

परीक्षा नियंत्रक